

107 हप्र स०

दौली थोघर-2018

कार्यवाही समाप्त

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी.

मोहरगुड सरकार

बनाम

श्री कौधरी की

M-21/2018

आदेश पत्रक

6/3/18

अमिलेख संख्या :- एम. 21 / 2018, धारा :- 107 द. प्रे. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 9/18

66  
6/3/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि दौली थोघर  
के अवसर पर निधि व्यवस्था हेतु ।

जिससे संभ्रमना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या  
विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक  
परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मैं ..... अनुमंडल  
दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र०  
स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना  
निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए  
उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जनानतदारों  
के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :- 14/3/18 को सपस्थापित करें ।

14/3/18  
अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी.

3119

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष बाद में खाली है। बूटि  
 डोली पर वर्ष 2018 शॉर्टिश्च संयम हो चुका है। कितनी  
 प्रकाश के अंश। हि राज होने की सूचना प्राप्त नहीं है तथा बुलेट  
 बुलाए से अफेक्ट के फालोक में अनिष्प के सामाजिक विरोधी  
 कार्य न करने की दिशात के साथ उनके मित्र वरद की  
 की कार्रवाई समाप्त की की जाती है। आपली - दिनांक 16-03-19  
 के रखा

(र)  
 09.03.19

16/03/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित।

बूटि डोली पर वर्ष 2018 शॉर्टिश्च संयम हो चुका है।  
 कितना वरद की समाप्त विषय जाता है।

(र)  
 16.03.18